हम ..... ग्राम सभा के सदस्य भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध करते है कि वो ग्राम सभा को संपूर्ण अधिकार देकर स्वायत्त ईकाई के रूप में मान्यता देने वाला कानून को बनाएं. पंचायत एक कार्यकारी इकाई है जबकि ग्राम सभा निर्णय लेने वाली इकाई होनी चाहिए. अगर पंचायत ग्राम सभा के अनुसार काम नहीं करती है तो पंचायत को बर्खाश्त करने का अधिकार ग्राम सभा को होना चाहिए. ग्राम सभा को यह अधिकार भी होना चाहिए कि वो गांव में बेरोजगारी दूर करने, कुटीर उद्योग लगाने, गांव की फसल को बेचने और पड़ोसी गांव के समूह से मिलकर गांव आधारित आर्थिक योजना बना सके.

आपसे अनुरोध है कि आप इस आशय का कानून संसद से जल्दी से जल्दी पारित करवाएं.

नं.	नाम	पता	फोन नबर	इमेल